

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,  
जिला-रायपुर

-- 0 --

क्रमांक एफ 3-56/2022/38-1  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2022

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर  
रायपुर (छ.ग.)


विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्रवेश मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/संकाय/विषय का नाम	प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, वोडला, जिला कवीरधाम	एम.ए. समाजशास्त्र	30	10	40
2	शासकीय शहीद गैंग सिंह महाविद्यालय, चारामा जिला कांकेर	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र एम.कॉम	40 45	10 20	50 65
3	शासकीय वद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आरंग, जिला रायपुर	बी.ए. बी.एस.सी. जीवविज्ञान एम.ए. राजनीतिविज्ञान एम.ए.अर्थशास्त्र एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय)	350 190 50 30 45 70	50 10 10 20 5 10	400 200 60 50 50 80

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु सीट वृद्धि की अनुमति दी जावेगी :-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या अनुसार संबद्धता प्राप्त किया जावेगा।
5. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रभावशील रहेगा।

  
( आर.ए.निर्मलकर )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-56/2022/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /09/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-.....(छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य, .....
4. की ओर सूचनार्थ प्रेषित,  
आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग